डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवान)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 432/2019

शंकरलाल पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई साकिन भूतनाथ मदिंर के पीछे मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. हनुमानप्रसाद पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई साकिन 4 के.ए.एम. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हसंराज पुत्र आसाराम जाति बिश्नोई साकिन 5 पीजीएम पोस्ट ऑफिस चक 2 पीजीएम तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. कृष्णा देवी नाम कल्मजन
4. प्रमिला देवी पत्नी निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन चण्डीगढ़ कायार्लय अधीक्षण अभियन्ता एवं जल नियत्रंक वास्ते राजस्थान चण्डीगढ़ एससीओ 2933—34 सैक्टर नं. 22 सी चण्डीगढ़।
5. प्रतिभा उम्र 17 वर्ष | पिसरान निहालचन्द नाबालिग जरिये कुदरति वली माता
6. प्रितिश उम्र 15 वर्ष | प्रमिला देवी पत्नी निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन चण्डीगढ़ कायार्लय अधीक्षण अभियन्ता एवं जल नियत्रंक वास्ते राजस्थान चण्डीगढ़ एससीओ 2933—34 सैक्टर नं. 22 सी चण्डीगढ़।
7. शगुन | पिसरान ओमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 13 पीबीएन ढ़ाणी
8. शुभम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।
10. जयपाल | पिसरान देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन थिराजवाला
11. संदीप कुमार | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता तकसीम</u>

वादी की ओर से श्री मदन लाल पारीक, प्रतिवादी संख्या 1—2 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा व प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री रमन गोदारा व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के इकबाल दावा व सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत वाद निम्नानुसार वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है —

वादी को चक 5 एसजीआर के प.नं. 1/**306 (19)** किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की [illegible] हैक्. नहरी का खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा **को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि** घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज **न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई** स्थगन आदि न

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:38 IST
Reason: SelfAttested

होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:38 IST
Reason: SelfAttested